


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1132)/2018/ दिनांक:-

आदेश


निदेशालय के आदेश क्रमांक 1343 दिनांक 03.11.2016 द्वारा श्रीमती कुसुमलता, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन उपकेन्द्र चाडो की ढाणी, खण्ड-सिणधरी (बाड़मेर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 13.04.2018 से 07.10.2018 तक 178 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1132)/2018/1738 दिनांक:- 08/08/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक, कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिणधरी (जिला बाड़मेर)।
3. प्रधानाचार्य, मतस्य नर्सिंग स्कूल, भवानी टॉप स्कूल, अलवर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर